-14 फारम सं0-563

...की क्रम संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) श्री कृष्णा राम एवं (2.) श्री महेश राम पिता स्व0 रोहन राम, ग्राम–उज्जैना, थाना–बरही, अंचल–बरही, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–बरही, ग्राम–उज्जैना, थाना संख्या–70, खाता संख्या–30, प्लॉट संख्या–475, रकवा–0.08 एकड़ (आठ डिसमिल) भूमि श्रीमती रेशमी देवी पति श्री रेवल ठाकुर, ग्राम–देवचन्दा, थाना–बरही, अंचल–बरही, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 21/2019 (OBC) प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, बरही से की गई।

अंचल अधिकारी, बरही द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता श्री कृष्णा राम एवं श्री महेश राम एवं क्रेता श्रीमती रेशमी देवी दोनों अ0पि0व0 के अन्तर्गत है तथा एक ही थाना के निवासी हैं। क्रेता के पास पूर्व से रकवा 0.10 एकड़ भूमि है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् विक्रेता के पास रकवा 1.19 एकड़ भूमि बचेगी। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् विक्रेता भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की जाने वाली भूमि खतियानी भूमि है। मौजा–उज्जैना, के खाता संख्या–30 रैयती खाता की भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–34/I पर रोहन कहार पिता बिहारी कहार के नाम जमाबंदी कायम है। वर्ष 2014–15 तक ऑफलाईन लगान रसीद एवं वर्ष 2017–18 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत् है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता (1.) कृष्णा राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासीय प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2018/1405990 दिनांक 21.01.2019 तथा अंचल अधिकारी, बरही के द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2018/1691010 दिनांक 16.01.2019 एवं (2.) महेश राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही द्वारा निर्गत्

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	ऑनलाईन स्थानीय निवासीय प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/1405941 दिनांक 02.01.2019 तथा अंचल अधिकारी, बरही के द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/1691172 दिनांक 16.01.2019 और क्रेता रेशमी देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/1328911 दिनांक 15.12.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/685868 दिनांक 08.07.2018 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, बरही के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बरही, ग्राम-उज्जैना, थाना संख्या-70, खाता संख्या-30, प्लॉट संख्या-475, रकवा-0.08 एकड़ (आठ डिसमिल) भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 10/01/19 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 10/01/19 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।